

राजस्थान सरकार
कॉलेज-शिक्षा

आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: एफ4 (20)आकाशि/पॉलिसी/नि.सं./2019/ 140

दिनांक : 15/2/19

सचिव, प्रबंध समिति/प्राचार्य

निजी महाविद्यालय

राजस्थान,


विषय:- ऑनलाईन राजस्व प्राप्तियों के रिफण्ड एवं समायोजन बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि जिन निजी महाविद्यालयों ने ई-ग्रास चालान से एनओसी/वार्षिक फीस की राशि गलत ऑफिस नाम/गलत बजट हेड में जमा करवा दी अथवा अधिक राशि भूलवश जमा करवा दी, वे महाविद्यालय अपना अभ्यावेदन ई-चालान की प्रतियों के साथ दिनांक 04 मार्च 2019 तक व्यक्तिशः कक्ष सं. 403, निजी संस्था शाखा, आयुक्तालय में कार्यालय समय में प्रस्तुत करें।

उक्त कार्यवाही के अभाव में ऑनलाईन राजस्व प्राप्तियों के रिफण्ड एवं समायोजन की प्रक्रिया संभव नहीं होगी।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।


अतिरिक्त आयुक्त


कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर

दिनांक : 15/2/19

क्रमांक: एफ4 (20)आकाशि/पॉलिसी/नि.सं./2019/ 140

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु-

1. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।


संयुक्त निदेशक(नि.सं.)
कॉलेज शिक्षा राजस्थान, जयपुर